Proposal No.–FP/UP/IND/39403/2019

Name of Project for which Forest Land is required- Renewal of 61.2348 ha (out of total 126.27 ha) forest land granted under forest (conservation act, 1980) in Renukoot Forest Division, Sonebhadra for the construction of Ash Disposal Yard for Hindalco Industries Limited, Renusagar Power Division.

प्रस्ताव संख्या–FP/UP/IND/39403/2019 के ऑनलाइन पार्ट–1 में पायी गयी कमियाँ निम्नवत हैः–

1. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा A-1 (iii) में 61.2348 (Out of Total 126.27) उल्लिखित है। अवशेष 126.27–61.2348=65.0352 हे0 के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए अपलोड किया जाए।
2. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा A-1 (x) में लीज अवधि 25 वर्ष दर्शाइ गई है, जबकि आदेशानुसार 10 वर्ष के लिए ही नवीनीकरण प्रस्तावित होना चाहिए। स्पष्ट किया जाए।
3- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा A-2 (xiii) में Details of Proposals seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land submitted by the User Agency in the past में कोई विवरण अपलोड नहीं किया गया है। अपलोड करें।
4. ऑनलाइन पार्ट–1 के क्रमांक–A-1 (ii) में प्रभावित वनभूमि का क्षेत्रफल एवं वन प्रभाग के नाम सहित परियोजना का पूर्ण विवरण फीड नहीं किया गया है।
5. ऑनलाइन पार्ट–1 के क्रमांक–A-4 में प्रश्नगत प्रकरण का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गयी प्रथम स्वीकृति संख्या–8–5/93–एफ0सी0, दिनांक 22.02.1999 को फीड नहीं किया गया है। इसमे केवल भारत सरकार की प्रथम नवीनीकरण की स्वीकृति संख्या–8–05/1993–एफ0सी0(pt), दिनांक 23.08.2018 को ही फीड किया गया है, जोकि अपूर्ण है। अतः इसके पूर्व भारत सरकार द्वारा निर्गत सभी स्वीकृतियों को क्रमवार फीड करे।
6. ऑनलाइन पार्ट–1 के क्रमांक–A-5 में प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति संख्या–8–5/93–एफ0सी0, दिनांक 20.11.1995 की अनुपालना को ही फीड किया गया है, जिसमें प्रस्ताव संख्या नवीनीकरण का अंकित किया गया है तथा सोनभद्र वन प्रभाग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा की गयी धनराशि रू0 10,10,871.15/– के स्थान पर रू0 1215249/– दर्शाया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के पत्रांक–8–05/1993–एफ0सी0(pt), दिनांक 13.02.2017 द्वारा निर्गत नवीनीकरण की सैद्वान्तिक स्वीकृति तथा इसके उपरान्त संशोधित सैद्वान्तिक स्वीकृति के पत्रांक–8–05/1993 –एफ0सी0(pt), दिनांक 24.07.2017 एवं पत्रांक–8–05/1993–एफ0सी0(pt), दिनांक 18.06.2018 की अनुपालना फीड नहीं की गयी है।
7. ऑनलाइन पार्ट–1 के क्रमांक–A-6 में प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति संख्या–8–5/93–एफ0सी0, दिनांक 20.11.1995 के अनुपालन के क्रम में जमा की गयी आवश्यक धनराशि को ही फीड किया गया है, किन्तु प्रस्ताव संख्या नवीनीकरण का अंकित किया गया है तथा सोनभद्र वन प्रभाग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा की गयी धनराशि रू0 10,10,871.15/– के स्थान पर रू0 1215249/– दर्शाया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के पत्रांक–8–05/1993–एफ0सी0(pt), दिनांक 13.02.2017 द्वारा निर्गत नवीनीकरण की सैद्वान्तिक स्वीकृति तथा इसके उपरान्त संशोधित सैद्वान्तिक स्वीकृति के पत्रांक–8–05/1993 –एफ0सी0(pt), दिनांक 24.07.2017 एवं पत्रांक–8–05/1993–एफ0सी0(pt), दिनांक 18.06.2018 के अनुपालन के क्रम में जमा की गयी आवश्यक धनराशि एवं अन्य विवरण फीड नहीं किया गया है।
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा B-1 एवं B-1 (i) में कोई विवरण अपलोड नहीं किया गया है। अपलोड करें।

9. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा C (iii) में मूल सर्वे आफ इण्डिया की टोपोशीट अपलोड नहीं की गई है। कृपया मूल टोपोशीट अपलोड करें।
10. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा G (i) में एन0पी0वी0 की गणना भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स के अनुसार नहीं किया गया है।
11. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा H (c) & (d) में संलग्न पर्यावरणीय स्वीकृति केवल 5 वर्ष के लिए वैध थी। कृपया नवीनीकृत पर्यावरणीय स्वीकृति अपलोड करें।
12. ऑनलाइन पार्ट–1 के क्रमांक–L(iv) (c) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित पैचों 38.205 हे0, 19.354 हे0 एवं 3.6758 हे0 की अपलोड़ की गयी के0एम0एल0 फाइल ओपन नहीं हो रही है।
13. ऑनलाइन पार्ट–1 के क्रमांक–L (iv) के बिन्दु (f)- Copy of ownership proof., बिन्दु (g)- Copy of MOU/Agreement executed between the Present owner and the User Agency. & बिन्दु (h)- Copy of non encumberence certificate for the forest land में इससे सम्बन्धित अलग–अलग प्रमाण पत्रों के स्थान पर एक ही प्रमाण पत्र को अपलोड किया गया है।
14. ऑनलाइन पार्ट–1 के Additional information Details में अपलोड किये गये लगभग सभी प्रमाण पत्रों में प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व की लीज नवीनीकरण की अवधि दिनांक 22.02.2009 से दिनांक 21.02.2019 तक बताया गया है, जबकि वर्तमान लीज नवीनीकरण हेतु अवधि दिनांक 22.06.2019 से दिनांक 20.06.2044 तक के लिए आवेदन किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि दोनो लीज नवीनीकरण के मध्य में 04 माह का अंतराल है। अतः इस अंतराल को स्पष्ट करते हुये संशोधित प्रमाण पत्रों को अपलोड करे। साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि पूर्व में शासनादेशानुसार 10–10 वर्ष हेतु नवीनीकरण का प्राविधान होने के बावजूद आप द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों में 25 वर्ष की लीज अवधि किस आदेश के अन्तर्गत आवेदित है। संलग्न करें।
15. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा area calculation of forest land, Muck disposal plan as per profarma prescribed by MoEF&CC, Forest gazette notification duly verified by present DFO अपलोड नहीं किया गया है।